-5-

# समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

## अधिहरण अपील संख्या–03/2017–18

राजेन्द्र शर्मा एवं अन्य

–बनाम्–

झारखण्ड राज्य सरकार

–::आदेश::–

13.09.2018

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख एवं उसमें संलग्न कागजातों का अवलोकन किया गया। प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो द्वारा राज्यसात वाद संख्या–08/2014, झारखण्ड राज्य सरकार (वन क्षेत्र पदाधिकारी, चास)–बनाम्–राजेन्द्र शर्मा एवं अन्य में दिनांक–20.02.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील दायर किया गया है।

उक्त के क्रम में अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य सरकार की ओर से विज्ञ सहायक लोक अभियोजक, बोकारो को सुना गया।

अपीलकर्ता के द्वारा दाखिल अपील आवेदन एवं निम्न न्यायालय के आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है यह अपील श्री मजनु अंसारी पिता स्व0 नौसाद अंसारी, सा0–नुनियाडीह, टोला–बेड़ाटाड़, चन्दनकियारी, बोकारो के द्वारा दाखिल किया गया है, जो कि निम्न न्यायालय में पक्षकार ही नहीं थे। ऐसी स्थिति में इस अपीलवाद पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है।

नर्णित परिस्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा राज्यसात वाद संख्या–08/2014, झारखण्ड राज्य सरकार (वन क्षेत्र पदाधिकारी, चास)–बनाम्–राजेन्द्र शर्मा एवं अन्य में दिनांक–20.02.2016 को पारित आदेश पर हस्तक्षेप करने का कोई ठोस आधार नहीं है। अतः अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज किया जाता है एवं वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।

13.09.18

समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी,
बोकारो।

Digitally signed by VIJAYA NARAYANRAO JADHAV
Date: 2025.02.07 17:51:46 +05:30
Location: 192.168.1.104